

उत्तर प्रदेष राज्य औद्योगिक विकासप्राधिकरण

क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, झांसी।

सैद्धान्तिक स्वीकृति

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4ए लखनपुर कानपुर - 208024

दूरभाष: 0512- 582851-53 : 0512-2580797 वेबसाइट:www.upsidc.com

CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या

/सीडा/एटीपी

दिनांकः

विषयः औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ-122 एवं एफ-123 औ०क्षे० सुमेरपुर हमीरपुर के संविलियन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 426 दि. 06.07.2022, 783 दिनांक 19.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी मापों के आधार पर औo क्षेo सुमेरपुर हमीरपुर के औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ–122 एवं एफ–123 (क्षे० ७४४८.०० वर्गमी०) को एकीकृत कर भूखण्ड संख्या एफ–122/123 (क्षे० ७४४८.०० वर्गमी०) नामित कर, कार्यालय आदेश सं० १३०० –१३०७ / सीडा / एटीपी / का०आ० दिनांक १५.०१.२०२१ के कम में निर्धारित सक्षम स्तर द्वारा संविलियन प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ सैद्धान्ति अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

- नव सुजित भुखण्ड का भू-उपयोग यथावत औद्योगिक रहेगा।
- नव सृजित भूखण्ड के सेटबैक, भू—आच्छादन एवं एफ०ए०आर० यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अनुसार निर्धारित होंगे।
- भूखण्ड के संविलियन मानचित्र जारी करने से पूर्व विज्ञप्ति प्रारूप आपके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं विज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुये एवं विज्ञाप्ति प्रकाशित समाचार पत्रों की दो—दो प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। विज्ञाप्ति क्षेत्रीय कार्यालय हेतु उपलब्ध विज्ञापन मद के सापेक्ष प्रकाशित करायी जायेगी। उक्त विज्ञाप्ति के कम में प्राप्त आपत्ति / सुझाव के अन्तिमीकरण के उपरान्त भूखण्ड संविलियन का अन्तिम रूप प्राप्त होगा।
- यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन, 2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के अन्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव की जनापत्ति आमन्त्रित करने पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके निराकरण सम्बन्धी समस्त निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।
- आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संविलियन अनुमोदन पत्र निर्गत करने से पूर्व समस्त देयों / शुल्को का भूगतान आवंटी से प्राप्त कर लिया गया है और यदि भविष्य कोई देय/शुल्क रोपित किये जाते है तो वह आवंटी को मान्य होगें।

औ०क्षे० सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर के औद्योगिक भूखण्ड एफ-122 एवं एफ-123 के सैद्धान्तिक अनुमोदित संविलियन मानचित्र एवं विज्ञाप्ति प्रारूप की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(मीना भार्गव) महा प्रबन्धक (वा० / नियो०)

1241 /सीडा/एटीपी पृष्ठांकित संख्या दिनांक: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

29-11-2072

सहायक महाप्रबन्धक (प्र०/सा०), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०,औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

- प्रभारी (कम्प्यूटर),मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 15 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
 - वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), नि०ख०–८, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, कानपुर।
 - निजी सचिव (मु०का०अ०/अ०मु०का०अ०) उ०प्र०रा०ओ०वि०प्र० मुख्यालय कानपुर।

29/11 (मीना भागीव) महा प्रबन्धक (वा० / नियो०)

1

